S.No 9 (R)

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला जशपुर (छ.ग.)

क्रमांक– पुअ/जश/स्टेनों/शिका./ 02 /06 दिनांक 2.08.06

प्रति,

श्री त्रिपुरारी रॉय
सहायक **निदेशक**
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
नई दिल्ली

विषय :– अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर कथित अत्याचार।

संदर्भ :– सं.– छत्तीसगढ़/एस.टी.–1/06 एट्रोसिटी दिनांक 28.02.06

—00—

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के विषय में लेख है कि आवेदक श्री माबेल रिवेलो सेक्रेटरी ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली के शिकायत पत्र की जांच पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पत्थलगांव से कराया गया जांच पर आये तथ्य के आधार पर कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी पत्थलगांव के राजस्व प्रकरण क्रमांक 46/अ/23/05/06 धारा 170 ख के तहत पारित अंतिम आदेश के परिपालन में प्रकरण के आवेदक रपन उरांव निवासी पत्थलगांव तथा दूसरा पक्ष रोमन कैथोलिक संस्था दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के पत्रकार को आदेश सुनाया जाकर टीप करने के बाद आदेश के परिपालन में अनुविभागीय दण्डाधिकारी पत्थलगांव के न्यायालय द्वारा मौके पर बंदियाखार स्थित भूमि कुल नंबर 09 कुल रकबा 7.89 एकड़ का मौके पर आवेदकगणों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही की गई तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी [illegible] श्री राजेन्द्र सुर्वे द्वारा रोमन कैथोलिक मिशन बंदियाखार स्थित मिशन बाउण्ड्री बुलडोजर से तोड़वाया गया। जिससे उत्तेजित होकर कैथोलिक संस्था दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के कार्यकर्ता फादर, सिस्टर के द्वारा मिशन से संबंधित छात्र छात्राओं का मिशन के बाउण्ड्रीवाल तोड़ने के विरोध में रैली निकाली गई जिसमें करीबन 650 विद्यार्थी शामिल थे। इस प्रकार विद्यार्थी की रैली मिशन के फादर, सिस्टर के नेतृत्व में सेंट जेवियर्स चौक से पत्थलगांव कस्बा मुख्य मार्ग होते हुये तहसील कार्यालय के प्रांगण में आकर तहसीलदार, एस.डी.एम. तथा प्रशासन के विरूद्व नारे बाजी किये, और इसी दौर में रैलियों द्वारा हिन्दु धर्म को लेकर अपत्तिजनक नारे बाजी कर रोष प्रकट किये व एस.डी.एम, तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुये तहसील प्रांगण खड़ी शासकीय वाहन व निजी वाहनों को तोड़फोड़ कर नुकसान किये इस प्रकार की उत्तेजित माहौल को देखते हुये शांति भंग होने के पूर्व अंदेशा पर शांति कायम रखने हेतु एस.डी.एम. द्वारा धारा 133 सी.आर.पी.सी. के तहत थाना प्रभारी पत्थलगांव के प्रति पत्र क्रमांक 65/रीडर/06 पत्थलगांव दिनांक 02.02.06 प्रेषित कर रैली नेतृत्व कर्ता प्रमुख व्यक्ति फादर स्टैनी, आशादीप जोसेफ लकड़ा, कैथोलिक सभा अध्यक्ष कुनकरी, खीस्तधारी कुजूर, कैथोलिक संस्था बंदियाखार फादर थ्यौदर टोप्पो, आशादीप, अथनस लकड़ा, प्रकाश हायर सेकण्डरी प्राचार्य फादर एलफिस मिंज, संत जेवियर्स स्कूल बंदियाखार, फादर पंखरासियुस मिंज, संत जेवियर्स संस्था सिस्टर एलिजावेद , डायरेक्टर सहायक सिस्टर संगीता मिंज, टीचर बी.टी.आई सिस्टर रूथ टोप्पो, बी.टी.आई संस्था प्रमुख टीचर श्रीमती लोरेन्सिया, संत जेवियर्स बंदियाखार टीचर के खिलाफ धारा 151 सी.आर.पी.सी के तहत कार्यवाही करने एवं अन्य धाराओ के तहत यदि अपराध बनता हो तो पंजीबद्व कर कार्यवाही करने को निर्देशित लेख बद्व किये। इसी के परिपालन में थाना पत्थलगांव द्वारा उपरोक्तों के विरूद्व

इस्तगासा क्रमांक 4/7 धारा 151,107,116 (3) सी.आर.पी.सी. का परिवाद प्रस्तुत किया गया व उपरोक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। जिस पर से एस.डी.एम. पत्थलगांव द्वारा गिरफ्तार शुदा आवेदकगणों का जेल वारंट जारी किया गया व पुरूष अनावेदकों को जशपुर जेल एवं महिला अनावेदकों को रायगढ़ दाखिल कर वारंट की तामिली की गई। जो दिनांक 03.02.06 को जमानत मुचलका पर रिहा होकर वापस पत्थलगांव आये। इसी तारतम्य में एस.डी.एम. पत्थलगांव की रिपोर्ट पर से आंदोलन कारियों के विरूद्ध अपराध क्र0 25/06 धारा 147,427,186,447,153(ख) भादवि तथा प्रार्थी विश्वनाथ शर्मा पिता रामधारी शर्मा की रिपोर्ट पर अप. क्र. 22/06 धारा 341,147, भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है जो विवेचना में है।

इस प्रकार जांच पाये तथ्यों के आधार पर जांच पर पाये गये कि एस.डी.एम. पत्थलगांव द्वारा निर्णय के आधार पर परिपालन में मिशन स्कूल बाउण्ड्रीवाल को प्रार्थी की कब्जा दिलाने के लिये तोड़वाया गया। जिससे मिशन के कार्यकर्ता उत्तेजित हो गये व अपना विरोध विधि विरूद्ध तरीके से प्रदर्शन किये व बच्चों को कवच बतौर इस्तेमाल कर न्यायालय के कार्यो में बाधित बने जिनमें गिरफ्तार विधिवत की गई। इस शिकायत पत्र में उल्लेखित विषय की जांच राज्य शासन एवं केन्दीय शासन की टीम द्वारा भी की गई है।

जांच प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।

2/8/06

पुलिस अधीक्षक
जिला जशपुर (छ.ग.)